उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या-2035/9–1–2022–09टी.ए./2020
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत सहपऊ, जिला हाथरस के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या–1565/9–1–2020–09टी0ए0/20, दिनांक–12 दिसम्बर, 2020 को जारी की गयी थी, और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शसनादेश संख्या–1589/9–1–2022–09टी.ए./20, दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–49 मुआरिखा, दिनांक 7 जनवरी, 1859 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपालक्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत, आथिक महत्व और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग–9 क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत सहपऊ, जिला हाथरस के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

(नगर पंचायत सहपऊ, जिला हाथरस के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	गाटों का विवरण
1.	ग्राम सहपऊ देहात के राजस्व (नगला मेबा, तकिया, नगला बादाम, नगला सुखराम)	01 से 2626 तक।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक–22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, अलीगढ़, मण्डल, अलीगढ।
(2) जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-2035/9-1-2022-9T.A./2020 dated July 22 2022.

NOTIFICATION

No.- 2035/9-1-2022-09T.A./2020
Lucknow; Dated: July 22, 2022

WHEREAS Government Notification no.-1565/IX-1-2020-09T.A./20, dated: December 12, 2020 was issued and published in the Gazette on the same date with a view to invite objections and suggestions from the general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Sahpau, District Hathras as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government Order no.-1589/9-1-2022-09T.A./20 dated June 22, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no.-49 Muarikha, dated 7 January, 1859 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of the Population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Sahpau, District Hathras for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

(Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Sahpau in District Hathras)

Sr. No.	Name of Villages	Detail of Gatas
1	Revenue Village Sahpau Dehat (Nagla meva, Takiya, Nagla Badam, Nagla Sukhram)	01 to 2626.

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary